संख्या-54/2022/ई-2063844/71-3099/58/2021-03

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
गाजीपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 24 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मविस्वराचिम/गैरवेतन/बजट आवंटन/2021-22/1033, दिनांक 11.03.2022 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, गाजीपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	शासनादेश संख्या/दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	संख्या-59/2021/633/71-3-2021-12/2020, दिनांक 30.04.2021	83.33
2	संख्या-133/2021/ई-1912351/71-3-2021-12/2020, दिनांक 02.11.2022	83.33
	योग-	166.66

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में "2210-05-105-03-0354' मेडिकल कालेज, गाजीपुर के 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के रूप में **रू0 166.66 लाख (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-3515/दस-2021-22, दिनॉक 23 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्याः- तद्दिनांक, उपरोक्तनुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in